आदेश

दिनांकः 18.05.2018

18/05/18

आज यह पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श ढूंढा पर पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार, बाड़मेर का कथन है कि ग्राम आदर्श ढूंढा में स्थित खसरा संख्या 34/1/1 रकबा 195.14 बीघा भूमि किस्म बा0दो0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लेकर अवैध रूप से जिप्सम खनन का कार्य किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के खातेदारान के खातेदारी अधिकार सदैव के लिए समाप्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण को प्रकरण की सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया गया। खातेदारान ने अपने जवाब में अंकित किया कि भू बन्दोबस्त के तुरन्त पश्चात उक्त भूमि को सिणदरी फर्टीलाईजर कॉर्पोरेशन के लिए अवाप्त किया, जिन्होने 50 वर्ष तक खनिज निकालने हेतु भूमि का दोहन किया, जिससे खेत में बड़े–बड़े खड्डे हो गये है। उक्त अवाप्त भूमि खातेदारान को सुपूर्द करते समय तहसीलदार बाडमेर द्वारा कृषकों के हितों की रक्षा नही की गई एवं भूमि वापिस लेने से पूर्व खड्डों को नही भरवाया गया। अप्रार्थीगण उक्त भूमि से 10 किलोमीटर दूर रहते है। आस–पास की फैट्रियों के मालिक जबरन

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चोरी छिपे खेत में से अवैध खनन करते है, जिनके विरूद्ध कार्रवाई अपेक्षित है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया है ओर न ही धारा 177 के प्रावधानो का उल्लघंन किया गया है। विप्रार्थीगण ने तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार, बाड़मेर से उक्त प्रकरण में मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत किये जाने के निर्देश जारी किये गये। इस प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" 2018 के दौरान आयोजित शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श ढूंढा के दौरान विवादित आराजी भूमि नवीन ग्राम चकलानी पुराना खसरा नं. 34/1/1 रकबा 195.14 नवीन खसरा नम्बर 101/34 रकबा 195.14 बीघा किस्म बा0दो0 का मौका निरीक्षण भू.अ. निरीक्षक कवास के साथ किया गया। मौके पर उक्त आराजी भूमि में झाडिया खडी है तथा जिप्सम का अवैध खनन होना पाया गया है।

मौका प्रतिवेदन पृथक से बनाया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादग्रस्त भूमि में जिप्सम खोदने के खड्डे (निशानात) पाये गये। इससे प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदारान द्वारा अवैध रूप से बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करना पाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि ग्राम चकलानी पुराना खसरा नं. 34/1/1 रकबा 195.14 नवीन खसरा नम्बर 101/34 रकबा 195.14 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि के खातेदारान द्वारा कृषि सें भिन्न प्रयोजनार्थ अवैध रूप से जिप्सम खनन के लिए उपयोग किया जाना पाया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है। दिनांक 27.03.2018 को आयोजित सुरक्षा सम्बन्धी बैठक में भी वायुसेना के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि वायु सेना की सीमा के आस-पास पुरी रात जिप्सम का अवैध खनन होता है। कई बार उक्त खनन वायुसेना की सीमा के समीप तक

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पहुँच जाता है। ऐसी स्थिति में हवाई अड्डे की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम चकलानी पुराना खसरा नं. 34/1/1 रकबा 195.14 नवीन खसरा नम्बर 101/34 रकबा 195.14 बीघा किस्म बा0दो0 के खातेदारान के खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 177 के तहत सदैव के लिए समाप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर समस्त राजस्व अभिलेख तदानुसार राज्य पक्ष में अंकन सुनिश्चित करावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

12.5.18

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बाड़मेर

Scanned by CamScanner